राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 30/06/2022 को संपन्न 414वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022 को डॉ. पी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलंदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मण्डेरा फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सुरेश कुमार बावरिया), ग्राम–मण्डेरा, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1975)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 74458/2022, दिनांक 29/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मण्डेरा, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 946, 990 एवं 1006/1, कुल क्षेत्रफल–1.16 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,275 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुरेश कुमार बावरिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मण्डेरा का दिनांक 21/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/1090/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 91/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 02/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 15.743 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – खनि निरीक्षक, जिला–बालोद दिनांक 01/02/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी, खनिज शाखा, जिला–बालोद को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए होने अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1553/खनि.शि./छ.प.एल.ओ.आई./2021–22 बालोद, दिनांक 31/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 946 आवेदक, खसरा क्रमांक 990 श्री निलेश कुमार एवं खसरा क्रमांक 1005/1 श्री संतोष कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमंडल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 23/2019/5394 बालोद, दिनांक 27/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 9.7 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भण्डेरा 500 मीटर, स्कूल ग्राम–भण्डेरा 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–भण्डेरा 800 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,39,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,425 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 25,806 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,476 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,960 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अस्थाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं स्टोन कटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	960
द्वितीय	1,200
तृतीय	1,200
चतुर्थ	1,275
पंचम	1,185

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों/वॉटर टैंक में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत

एवं भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र**– प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चौड़ाई कम होने के कारण 3.661 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 91/खनि. लि./ख.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 02/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 15.743 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-भण्डेरा) का रकबा 1.16 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-भण्डेरा) को मिलाकर कुल रकबा 16.903 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

vi. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

vii. Project proponent shall submit the noise modeling.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit certificate regarding important structure (bridge, aniout, temple, dam, canal etc.) within 200 meter radius from the mine, from the Mining Officer of Mining Department.

x. Project proponent shall submit the consent letter for uses of land.

xi. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat & CGWA for withdrawal of ground water.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मण्डेरा फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सुरेश कुमार बावरिया), ग्राम–मण्डेरा, तहसील–डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1976)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 74484 / 2022, दिनांक 29 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मण्डेरा, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 975 / 1, 975 / 2, 977, 978, 996 / 1, 996 / 2, 997, 1501 / 7, 1501 / 8 एवं 1501 / 11, कुल क्षेत्रफल–1.89 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार बावरिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान पूर्व में संचालित थी। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों (खदान प्रारंभ तिथि से वर्तमान तिथि तक) में किये गये फर्शी पत्थर उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भण्डेरा का दिनांक 01/11/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1091/खनि/मा.प्ला. अनुमोदन/उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 89/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 02/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 15.013 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** खनि निरीक्षक, जिला–बालोद दिनांक 01/02/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी, खनिज शाखा, जिला–बालोद को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए होने अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1582/खनि.लि./उ.प.एल.ओ.आई./2021–22 बालोद, दिनांक 31/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 976/1, 976/2, 978, 996/1, 1501/11 श्री महेश पाल, खसरा क्रमांक 1501/7 सुरेश कुमार, खसरा क्रमांक 1501/8 श्री सतीष कुमार एवं खसरा क्रमांक 977, 996/2, 997 श्री नरेशचंद्र के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमंडल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 23/2021/7132 बालोद, दिनांक 21/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भण्डेरा 500 मीटर, स्कूल ग्राम–भण्डेरा 500 मीटर एवं अस्पताल भण्डेरा 500 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,72,190 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 41,120 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 39,064 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,537 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,582 घनमीटर है। ओव्हर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,293.5 घनमीटर है। इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर) के पुनर्भराव में उपयोग किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 6,147 वर्गमीटर होगा। स्टोन कटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,100
द्वितीय	2,100
तृतीय	2,100
चतुर्थ	2,100
पंचम	2,100

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों/वॉटर टैंक में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई

तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,537 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,537 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र–** प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 960 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

18. समिति का मत है कि ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों (खदान प्रारंभ तिथि से वर्तमान तिथि तक) में किये गये फर्शी पत्थर उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं होने अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

Bh

6. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत एवं भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स मिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री राजेश कुमार सिंघानिया), ग्राम-मिनपुरी, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1961)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 73397 / 2022, दिनांक 09 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21 / 03 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30 / 03 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मिनपुरी, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 44 / 1, 44 / 2, 44 / 3 एवं 43, कुल क्षेत्रफल-2.452 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 96,795 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंघानिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामेपुर का दिनांक 27/11/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इनवायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3419/खनि/चूनापत्थर/उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 04/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/386/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.136 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/385/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 25/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/547/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 29/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8570 कवर्धा, दिनांक 25/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मिनपुरी 1.1 कि.मी., स्कूल ग्राम–मिनपुरी 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल लोहारा 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 970 मीटर दूर है। कर्रा नदी 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,42,100 टन, माईनेबल रिजर्व 4,83,437 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,59,265 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,775 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 19,980 घनमीटर है। वैध

की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	96,690
द्वितीय	96,675
तृतीय	96,795
चतुर्थ	96,735
पंचम	96,540

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 925 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,79,600 रूपये तथा खाद के लिए राशि 6,960 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,50,800 रूपये इस प्रकार कुल राशि 5,12,860 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 8,95,032 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,775 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें कुछ भाग 1 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र**– लीज क्षेत्र के समीप नाला होने के कारण अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार खदान में 50 मीटर (2,100 वर्गमीटर) को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/386/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.136 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–भिनपुरी) का रकबा 2.452 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–भिनपुरी) को मिलाकर कुल रकबा 9.588 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. **Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.**

   ii. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

v. Project proponent shall submit the noise modeling.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit top soil managment plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री कौशल चंद्रवंशी), ग्राम–मिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1960)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 73394 / 2022, दिनांक 09 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 7, 8/1, 10/1 एवं 10/4, कुल क्षेत्रफल–1.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कौशल चंद्रवंशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामहेपुर का दिनांक 26/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इनवायरोमेन्ट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3420/खनि/चूनापत्थर/उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 04/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 60/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.621 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/61/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, नदघाट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/510/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 7 श्री द्वारिका राम एवं शेष खसरा क्रमांक आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./7801 कवर्धा, दिनांक

02/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मिनपुरी 1.1 कि.मी., स्कूल ग्राम–मिनपुरी 1.1 कि.मी एवं अस्पताल ओहाल 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 970 मीटर दूर है। करो नदी 4 कि.मी. दूर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,77,750 टन, माईनेबल रिजर्व 2,82,540 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,68,413 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,215 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,236 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	56,080
द्वितीय	56,025
तृतीय	56,655
चतुर्थ	56,025
पंचम	57,750

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 42,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,900 रुपये तथा खाद के लिए राशि 5,250 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,37,200 रुपये इस प्रकार कुल राशि 4,35,350 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 8,87,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र**– लीज क्षेत्र के समीप नाला होने के कारण अनुमोदित खनन प्लान अनुसार खदान में 50 मीटर (3,068 वर्गमीटर) को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा

जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 60/ख. लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.621 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–भिनपुरी) का रकबा 1.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–भिनपुरी) को मिलाकर कुल रकबा 8.451 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

   v. Project proponent shall submit the noise modeling.

   vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   vii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit the detail proposal of 7.5 meter safety zone & non-mining zone area, plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता चंद्राकर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1977)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 74465 / 2022, दिनांक 31 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2752 एवं 2753, कुल क्षेत्रफल–1.37 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर (3,750 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती संगीता चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2752 एवं 2753, कुल क्षेत्रफल – 1.37 हेक्टेयर, क्षमता–15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 18 / 09 / 2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 17 / 09 / 2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 10/03/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
दिनांक 01/01/2018 से 30/06/2018	निरंक
दिनांक 01/07/2018 से 31/12/2018	निरंक
दिनांक 01/01/2019 से 30/06/2019	निरंक
दिनांक 01/07/2019 से 31/12/2019	निरंक
दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020	68
दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2020	39
दिनांक 01/01/2021 से 30/06/2021	42

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 10/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ प्रोपोसिड क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 262/ख.नि./तीन–6/2018 रायपुर, दिनांक 07/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 382/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.36 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 382/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज डीड श्रीमती संगीता चंद्राकर के नाम पर है। लीज 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/12/2018 से 19/12/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि/2456 महासमुंद, दिनांक 15/05/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 125 मीटर, स्कूल ग्राम–नांदगांव 290 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 6.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,12,476 घनमीटर (2,81,190 टन), माईनेबल रिजर्व 70,380 घनमीटर (1,75,950 टन) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 52,785 घनमीटर (1,31,962 टन) था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,12,327 घनमीटर (2,80,817 टन) एवं माईनेबल रिजर्व 70,231 घनमीटर (1,75,577 टन) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,308 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,065 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,750	षष्टम	3,750
द्वितीय	3,750	सप्तम	3,750
तृतीय	3,750	अष्टम	3,750
चतुर्थ	3,750	नवम	3,750
पंचम	3,750	दशम	3,750

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 460 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्री धीरेन्द्र लोनारे (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 61826 1/2021), श्री हीरेन्द्र साहू (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 61966/2021) एवं श्री प्रेमनारायण चन्द्राकर (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 61875/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 मार्च, 2021 से 15 जून, 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में

की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है. इस बाबत् श्री धीरेन्द्र लोनारे, श्री हीरेन्द्र साहू एवं श्री प्रेमनारायण चन्द्राकर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 382/क/खनि/न.कं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-नांदगांव) का रकबा 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गीत श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

iii. Project proponent shall submit the noise modeling.

iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स जे.के. स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज (पार्टनर– श्री संतोष कुमार यादव, प्लेन स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (राशिवालय का नस्ती क्रमांक 1978)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /264727/2022, दिनांक 30/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1855 एवं 1860, कुल क्षेत्रफल–1.92 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेद बाफना, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पारागांव का दिनांक 13/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खनि), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 701/खनि 02/मा.पत्र.अनुमोदन/म.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 21/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1882/खनि/तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1862/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि मेसर्स जे.के. स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1494/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 06/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.अ.अ./रा/619 रायपुर, दिनांक 23/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पारागांव 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–पारागांव 1 कि.मी. एवं अस्पताल आरंग 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 270 मीटर दूर है। महानदी 125 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,16,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 73,498 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 55,124 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,240 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 38,820 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) के उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भराव, सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर दक्षिण दिशा में अस्थायी भंडारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,600
द्वितीय	3,600
तृतीय	3,600

चतुर्थ	3.600
पंचम	3.600

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,060 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 53,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 62,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 2,27,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,240 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग 1,130 वर्गमीटर क्षेत्र में केवल ऊपरी मिट्टी ही उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति द्वारा उक्त उत्खनित 1 मीटर क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी का भराव कर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	2%	2.00	Following activities at Village-Paragaon	
			Pavitra Van Nirman	10.63
			Total	**10.63**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 60,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,52,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,66,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1683, क्षेत्रफल 0.19 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1882/ख. लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पारागांव) का क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पारागांव) को मिलाकर क्षेत्रफल 2.887 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जे.के. स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज (पार्टनर– श्री संतोष कुमार यादव, फलेग स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट) की ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1855 एवं 1860 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.92 हेक्टेयर, क्षमता–3,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल), ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1979)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 264836/2022, दिनांक 31/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,975.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल – 1.81 हेक्टेयर, क्षमता–9,975.84 टन (3,696 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	657
2018	1,238
2019	3,305
2020	2,700
2021	2,045

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सरईगढ़ला का दिनांक 14/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 20/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1482/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती कपि जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1246 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट 900 मीटर, स्कूल ग्राम–कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बैकुण्ठपुर 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं धनुहारी नाला 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,44,350 टन (90,500 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,09,222 टन (40,452 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 98,300 टन (36,407 घनमीटर) था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,515 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 71,448 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,268.68 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,506.48 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,517.84	षष्टम	9,975.84
द्वितीय	9,975.84	सप्तम	9,975.84
तृतीय	9,975.84	अष्टम	9,975.84
चतुर्थ	9,975.84	नवम	9,975.84
पंचम	9,975.84	दशम	9,975.84

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.91 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,054 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नग पौधे का

रोपण किया गया है। शेष 704 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 86,900 रुपये, खाद के लिए राशि 82,700 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,83,800 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 10,42,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.98	2%	0.20	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kot	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.25
			Running Water Facility for Toilet	0.18
			Total	**0.43**

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स कुरदी फ्लेग स्टोन माईन्स (प्रो.– श्री अश्विन पटेल), ग्राम–कुरदी, तहसील–मुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1605)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61827/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया

था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/61827/2021, दिनांक 24/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरदी, तहसील–कुण्डारदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 350/2, 358, 359, 360/1, 360/3, 360/4, 363/2, 351, 352/1, 352/2 एवं 360/2, कुल क्षेत्रफल–2.65 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 18,881.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अश्विन पटेल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ऐशिविज इन्वायरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री अंजली चव्हाण तथा श्री बुद्धदेव पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरदी का दिनांक 18/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1278/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.ब./2020–21 कांकेर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 247/खनि.शि./उ.ब.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 16/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 16.597 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 979/खनि.शि./उ.ब. आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 03/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

मरघट, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नहर 60 मीटर दूर है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से देखे जाने पर नहर 10 मीटर से अधिक प्रतिपादित नहीं हो रहा है। अतः आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 774/खनि.लि./उ.प. एलओआई/2020–21 बालोद, दिनांक 05/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्र.1491/खनि 02/उ.प.–अनु ज्ञा/न.क्र.60/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 04/04/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात दिनांक 03/02/2023 तक) की अवधि हेतु है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.23/2019/5650 बालोद, दिनांक 13/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 350/2, 358, 359, 360/1, 360/3, 360/4 एवं 363/2 श्री कल्पेश कुमार एवं श्री हिम्मत पटेल के नाम पर है। शेष भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुरदी 0.72 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुरदी 0.90 कि.मी. एवं अस्पताल बालोद 13.4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.95 कि.मी. दूर है। तालाब 740 मीटर एवं नहर 10 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,63,125 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,752 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,73,364 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,311 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 8,293 घनमीटर है, जिसमें से 2,632 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण

के लिए उपयोग तथा शेष 5,661 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,586 घनमीटर है। ओवर बर्डन का उपयोग रेम्प, हॉल रोड एवं पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,861	छठम	18,169
द्वितीय	18,169	सप्तम	18,362
तृतीय	18,347	अष्टम	18,525
चतुर्थ	17,613	नवम	17,763
पंचम	18,525	दशम	18,525

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.12 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,463 नग एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 368 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी.		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
खदान के बाउण्ड्री एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में (1,831 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,705	9,200	9,200	9,200	9,200
	फेंसिंग हेतु राशि	1,02,495	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,83,100	1,83,100	1,83,100	1,83,100	1,83,100
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500
रेम्प एवं हॉल रोड के		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

रख–रखाव हेतु					
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी	3,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
कुल राशि = 40,03,000	**11,15,800**	**7,21,800**	**7,21,800**	**7,21,800**	**7,21,800**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,311 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 92 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र का पुनभराव कर लिया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से नहर 10 मीटर दूर है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार खदान में 40 मीटर (2,695 वर्गमीटर) को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इस प्रकार नहर से कुल 50 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 04/03/2021 से 15/06/2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	31.0	49.0	60
PM_{10}	60.0	87.0	100
SO_2	6.0	17.0	80
NO_2	12.0	32.0	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.7	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	47.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **पी.डब्ल्यू.डी. रोड का** वर्तमान में 471 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.235 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 37.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 508.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.254 होगी। **दुर्ग–बालोद रोड का** वर्तमान में 920 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 37.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 957.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.239 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good 0.2-0.4) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 03/01/2022 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने मंच एवं खुला मैदान में, ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 16 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 02 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 02 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले धूल से कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खदान सड़क से लगी हुई है जिसके कारण परिवहन व्यवस्था में असुविधा हो रही

है एवं दुर्घटना की सम्भावना बढ़ती जा रही है। अतः स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाये।

ii. खदान में ब्लास्टिंग करने के कारण वाटर लेवल नीचे जा रहा है। साथ ही खदान के समीपस्थ स्कूल की भूमि बंजर स्थिति में है। अतः वहां की भूमि के रखरखाव के लिए आसपास के खदानों द्वारा कुछ राशि प्रतिवर्ष आनी चाहिये जिससे बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाये।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

iv. खदान में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी दर एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी दी जाये।

v. लीज क्षेत्र के बाहर मटेरियल रखा जाता है। खदान के खुलने से बहुत सारी परेशानियों का सामना ग्राम वासियों को करना पड़ता है। अतः लीज नहीं जारी करना चाहिये।

vi. खदान के आसपास के क्षेत्रों में स्थित खेतों में पानी नहीं रुकते हैं, जल का स्तर नीचे जाने के कारण बोर नहीं चलता है। वर्षा का जल खदान क्षेत्र में स्थित गड्ढे 30 से 40 फीट में भर जाता है। जिसे आवेदकों द्वारा नाला में फेंक देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा खनन क्षेत्र के चारों ओर सघन वृक्षारोपण भी किया जायेगा। साथ ही सड़कों तथा वाहनों का उचित रखरखाव किया जायेगा। वाहनों का संचालन तारपोलिन ढककर किया जायेगा। आवेदित खदान ग्रामीण पक्की सड़क से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। आसपास के खदान के आवेदकों द्वारा ग्रामीण मार्ग में सोलर लाईट की व्यवस्था की जा रही है।

ii. खदान का संचालन भूजल के उपर प्रस्तावित है। अतः भूजल पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। महानिदेशालय खान एवं सुरक्षा से अनुमति प्राप्त कर ब्लास्टिंग के समस्त मापदण्डों का पूर्णतः पालन करते हुए पंजीकृत ब्लास्टिंग कांट्रेक्टर से नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायेगी। ब्लास्टिंग का स्तर अतिसामान्य होगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iv. शासकीय नियमानुसार मजदूरों को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जायेगी। मजदूरों की सुरक्षा के लिए माईन्स नियम 1956 के अनुसार समस्त प्रबंधन एवं सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये जायेंगे। साथ ही मजदूरों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

v. आवेदक के द्वारा मिट्टी या ओवरबर्डन को खदान क्षेत्र के बाहर डम्प नहीं किया जायेगा। खदान का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।

vi. वर्षाकाल में खदान के गड्ढे में यदि अतिरिक्त जल जमा हो जाता है तो यदि वह उपयोगी जल की श्रेणी में आता होगा तो हमारे द्वारा किसानों को आवश्यकतानुसार यह अतिरिक्त जल प्रदान किया जायेगा।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 16 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 6.5 कि.मी.		6,30,000	6,30,000	6,30,000	6,30,000	6,30,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (4,334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,51,650	43,300	43,300	43,300	43,300
	फेंसिंग हेतु राशि	21,67,050	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	4,33,400	4,33,400	4,33,400	4,33,400	4,33,400
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	8,54,000	8,54,000	8,54,000	8,54,000	8,54,000
इन्वायरोमेंट मोनिटरिंग हेतु (Half yearly)		1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स		4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
कुल राशि = 1,76,18,900		**53,44,100**	**30,68,700**	**30,68,700**	**30,68,700**	**30,68,700**

दौरान इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 895 मीटर	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
पहुँच मार्ग की 895 मीटर लम्बाई के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु	4,97,000	1,84,000	1,84,000	1,84,000	1,84,000
इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के 895 मीटर लम्बाई के संधारण हेतु	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
कुल राशि = 24,38,000	**7,38,000**	**4,25,000**	**4,25,000**	**4,25,000**	**4,25,000**

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46.83	2%	0.94	Following activities at Nearby Gram Panchayat, **Village-Kurdi**	
			Plantation around village Pond	3.54
			Total	**3.54**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 45 नग पौधों (वर्तमान में 7 नग पौधे हैं) के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 50,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुरदी के सहमति उपरांत यथायोग्य

स्थान (खसरा क्रमांक 418 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. नहर के संचालन में प्रस्तावित खदान से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस आशय का शपथ पत्र जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावें।
3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
6. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
7. नॉन माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री रोहित सिंघानिया, कुरदी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1582)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61477/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61477/ 2021, दिनांक 24/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 652/2, 665, 666/1, 666/2, 666/3, 667/2, 667/3, 669, 670, 671, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 675/1 एवं 675/2, कुल क्षेत्रफल–2.58 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,023.69 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/12/2021 के माध्यम से जारी टीओआर में कुल क्लस्टर 19.247 हेक्टेयर के स्थान पर 21.827 हेक्टेयर का उल्लेख होने के संबंध में सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ऐंथिरिज इन्वाइरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री अंजली कथाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में (1) चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 670, 673/1, 673/2, 675/1, 675/2, 669, कुल क्षेत्रफल–0.94 हेक्टेयर, क्षमता–1,10,247 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा दिनांक 22/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। साथ ही (2) चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 667/2, 667/3, 652/2, 666/1,

666/2 एवं 666/3, कुल क्षेत्रफल–0.9 हेक्टेयर, क्षमता–1,27,959 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा दिनांक 22/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 994/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 13/05/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के आधार पर विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	
	पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (1)	पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (2)
जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	17,980	20,590
जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019	98,500	47,560

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरदी का दिनांक 15/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/1092/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2020–21 कांकेर, दिनांक 09/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 976/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 03/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 16.667 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 865/ख.लि./क्यू.एल./2020–21 बालोद, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर एवं पक्की सड़क 190 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि सिंघानिया इंटरप्राईजेस के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन

क्रमांक/748/खनि.लि./उ.प. एलओआई/2020-21 बालोद, दिनांक 25/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पृ. ज्ञापन क्र. 1494/खनि 02/उ.प.-अनु. मिश्या/न.क्र.50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 04/04/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात दिनांक 23/01/2023 तक) की अवधि हेतु है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.23/2020/6302 बालोद, दिनांक 23/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कुरदी 0.72 कि.मी., स्कूल ग्राम-कुरदी 0.9 कि.मी. एवं अस्पताल बालोद 13.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.6 कि.मी. दूर है। तालाब 0.4 कि.मी., गोरियान नाला 50 मीटर एवं तांदुला नदी 2.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,09,718 टन, माईनेबल रिजर्व 5,71,308 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,42,743 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,127 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 8,907 घनमीटर है, जिसमें से 2,565 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 6,342 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित कर रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 859 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,00,023
द्वितीय	86,921
तृतीय	88,286
चतुर्थ	84,189
पंचम	84,324

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.11 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,426 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी.		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
खदान के बाउण्ड्री में (1,426 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	78,375	7,200	7,200	7,200	7,200
	फेंसिंग हेतु राशि	1,00,225	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,42,500	1,42,500	1,42,500	1,42,500	1,42,500
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		3,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
कुल राशि = 37,67,400		**10,50,600**	**6,79,200**	**6,79,200**	**6,79,200**	**6,79,200**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 04/03/2021 से 15/06/2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	31.0	49.0	60
PM_{10}	60.0	87.0	100
SO_2	6.0	17.0	80
NO_2	12.0	32.0	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.7	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	47.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **पी.डब्ल्यू.डी. रोड का** वर्तमान में 471 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.235 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 37.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 508.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.254 होगी। **दुर्ग–बालोद रोड का** वर्तमान में 920 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 37.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 957.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.239 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good 0.2-0.4) के भीतर है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 03/01/2022 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने मंच एवं खुला मैदान में, ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 16 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 02 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 02 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खदान से निकलने वाले धूल से कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खदान सड़क से लगी हुई है जिसके कारण परिवहन व्यवस्था में असुविधा हो रही है एवं दुर्घटना की सम्भावना बढ़ती जा रही है। अतः स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाये।

ii. खदान में ब्लास्टिंग करने के कारण वाटर लेवल नीचे जा रहा है। साथ ही खदान के समीपस्थ स्कूल की भूमि बंजर स्थिति में है। अतः वहां की भूमि के रखरखाव के लिए आसपास के खदानों द्वारा कुछ राशि प्रतिवर्ष आनी चाहिये जिससे बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाये।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

iv. खदान में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी दर एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी दी जाये।

v. लीज क्षेत्र के बाहर मटेरियल रखा जाता है। खदान के खुलने से बड़ा सारी परेशानियों का सामना ग्राम वासियों को करना पड़ता है। अतः लीज नहीं जारी करना चाहिये।

vi. खदान के आसपास के क्षेत्रों में स्थित खेतों में पानी नहीं रुकते हैं, जल का स्तर नीचे जाने के कारण और नहीं चलता है। वर्षा का जल खदान क्षेत्र में स्थित गड्ढे 30 से 40 फीट में भर जाता है। जिसे आवेदकों द्वारा नाला में फेंक देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा खनन क्षेत्र के चारों ओर सघन वृक्षारोपण भी किया जायेगा। साथ ही सड़कों तथा वाहनों का उचित रखरखाव किया जायेगा। वाहनों का संचालन तारपोलिन ढककर किया जायेगा। आवेदित खदान ग्रामीण पक्की सड़क से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। आसपास के खदान के आवेदकों द्वारा ग्रामीण मार्ग में सोलर लाईट की व्यवस्था की जा रही है।

ii. खदान का संचालन भूजल के उपर प्रस्तावित है। अतः भूजल पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। महानिदेशालय खान एवं सुरक्षा से अनुमति प्राप्त कर ब्लास्टिंग के समस्त मापदण्डों का पूर्णतः पालन करते हुए पंजीकृत ब्लास्टिंग कांट्रेक्टर से नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायेगी। ब्लास्टिंग का स्तर अतिसामान्य होगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iv. शासकीय नियमानुसार मजदूरी को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जायेगी। मजदूरों की सुरक्षा के लिए माईन्स नियम 1955 के अनुसार समस्त प्रबंधन

एवं सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये जायेंगे। साथ ही मजदूरों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

v. आवेदक के द्वारा मिट्टी या ओवरबर्डन को खदान क्षेत्र के बाहर डम्प नहीं किया जायेगा। खदान का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।

vi. वर्षाकाल में खदान के गड्ढे में यदि अतिरिक्त जल जमा हो जाता है तो यदि वह उपयोगी जल की श्रेणी में आता होगा तो हमारे द्वारा किसानों को आवश्यकतानुसार यह अतिरिक्त जल प्रदान किया जायेगा।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 16 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 6.5 कि.मी.		6,30,000	6,30,000	6,30,000	6,30,000	6,30,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (4,334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,51,690	43,300	43,300	43,300	43,300
	फेंसिंग हेतु राशि	21,67,050	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	4,33,400	4,33,400	4,33,400	4,33,400	4,33,400
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	8,54,000	8,54,000	8,54,000	8,54,000	8,54,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)		1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स		4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000

कुल राशि = 1,76,18,900	53,44,100	30,68,700	30,68,700	30,68,700	30,68,700

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 871 मीटर	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
पहुँच मार्ग की 871 मीटर लम्बाई के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु	4,84,000	1,79,000	1,79,000	1,79,000	1,79,000
इन्फ्रायरमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के 871 मीटर लम्बाई के संधारण हेतु	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
कुल राशि = 23,75,000	7,19,000	4,14,000	4,14,000	4,14,000	4,14,000

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.22	2%	1.17	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village-Kurdi	
			Plantation around village Pond	3.80
			Total	3.80

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 67 नग पौधों (वर्तमान में 10 नग पौधे हैं) के लिए राशि 13,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 33,500 रूपये, खाद के लिए राशि 6,700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,13,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में

कुल राशि 2,66,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुरदी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 149 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिससे समिति सहमत हुई।

21. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
6. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स शांभवी इस्पात, ग्राम–भैरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1167)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/50427/2020, दिनांक 12/02/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।

वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74314/ 2020, दिनांक 25/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 31/1, 31/2, 32/1, 32/2 एवं 32/3, क्षेत्रफल 8.223 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (8 गुणा 15 टन) (एन.एस. बिलेट्स/स्टील इंगोट्स) क्षमता – 3,96,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (2 गुणा 500 टन प्रतिदिन) (टी.एम.टी. बार्स/वीयर रॉड/एंगल/चैनल/पत्ता एवं अन्य रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स) की क्षमता विस्तार – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,60,000 टन प्रतिवर्ष तथा न्यू कोल गैसीफॉयर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–19,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना का विनियोग रुपए 40 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/07/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार मैसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एम.एस. बार एण्ड रॉड्स (टी.एम.टी. बार) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 16/11/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 18/10/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत गेरवानी का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
   - निकटतम आबादी ग्राम–गेरवानी 500 मीटर, रेलवे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–गेरवानी 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर दूर है। केलो नदी 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना बताया गया है।

- उर्दना आरक्षित वन 1.7 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 2.2 कि.मी., बरकछार आरक्षित वन 2.0 कि.मी. एवं रैबो आरक्षित वन 6.2 कि.मी. तथा लाखा संरक्षित वन 0.5 कि.मी., डुंगापानी संरक्षित वन 3.2 कि.मी., खैरीडुंगरी संरक्षित वन 2.6 कि.मी., कोराडुंगरी संरक्षित वन 4.4 कि.मी., पुजीपथरा संरक्षित वन 6.7 कि.मी. एवं पजहर संरक्षित वन 8.4 कि.मी. दूर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स शांभवी इस्पात के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज एवं लेण्ड डायवर्सन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। श्री श्याम लाल अग्रवाल, श्री अनिल कुमार अग्रवाल, श्री अनित कुमार अग्रवाल, श्री संतोष अग्रवाल एवं श्री पवन कुमार अग्रवाल पार्टनर है। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in Acre)	Area (%)
1	Induction Furnace Shed	2.03	10.0
2	Rolling Mill Shed	3.06	15.1
3	Storage Area	2.47	12.2
4	Internal Road	0.74	3.6
5	Green Belt	8.13	40.0
6	Water Reservoir & RWH Pits	0.15	0.7
7	Parking	0.30	1.5
8	Mics. (i.e. Admin, Substation etc.)	0.25	1.2
9	For future expansion	3.19	15.7
	Total	**20.32**	**100**

6. **इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Unit (Product)	CTE & CTO Obtained	Proposed Expansion		After Proposed Expansion
			Phase I	Phase II	
1.	Induction Furnace (MS billets / Steel Ingots)	-	1,98,000 TPA (4X15 T)	1,98,000 TPA (4X15 T)	3,96,000 TPA
2.	Rolling mill (TMT / wire rod / patra & other rerolled products)	30,000 TPA	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	3,60,000 TPA
3.	Coal gasifier (Producer Gas)	-	9,900 Nm^3/Hr	9,900 Nm^3/Hr	19,800 Nm^3/Hr

7. **रॉ–मटेरियल** –

Raw Material		Quantity (In TPA)	Mode of Transport
For Induction Furnace – 3,96,000 TPA			
Sponge Iron		3,30,000	By road (through covered trucks)
Scrap		1,41,000	By road (through covered trucks)
Ferro Alloys		5,900	By road (through covered trucks)
For Rolling Mill – 3,30,000 TPA			
Steel Ingots / billets		3,53,100	-
LDO/LSHS (instead of FO)		14,100 KL (16,200 TPA)	Nearby HPCL/ IOCL Depots through Tankers
Coal (for gasifier 19,800 NM^3/Hr)	Indian coal	66,000	By rail & road (through covered trucks)
Coal (for gasifier 19,800 NM^3/Hr)	Imported coal	42,200	Through Sea route & rail

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। स्थापना सम्मति प्राप्त रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में स्क्रबर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है, जिसमें पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। प्रस्तावित रोलिंग मिल (री–हिटिंग फर्नेस आधारित) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 53 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। उक्त रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी।

9. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि 90 प्रतिशत हॉट चार्जिंग आधारित एवं 10 प्रतिशत री–हिटिंग फर्नेस (प्रोड्यूसर गैस को ईंधन के रूप में उपयोग) आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन किया जाएगा। हॉट चार्ज मोड में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जायेगा। जनित हॉट गैस (प्रोड्यूसर गैस) को इन्सुलेटेड पाईपलाईन के माध्यम से फर्नेस तक ले जाया जाएगा, जिससे कि कन्डेंसेसन (Condensation) नगण्य होगी। सील वॉटर को क्लोज लूप सिस्टम में उपयोग किया जाएगा। जब सील टैंक खाली होगा, तब वेस्ट वॉटर को ग्राउण्ड टैंक्स में रखा जाएगा। तत्पश्चात् वेस्ट वॉटर को ग्राउण्ड टैंक से ओवर हेड टैंक में रखा जाकर वेस्ट वॉटर को 600°C से 800°C के तापमान में पुनः गैसीफायर में प्रवाहित कर जलाया जाना प्रस्तावित है। तदोपरांत शीघ्रता से वाष्पीकृत होगा एवं ऑक्सीकरण में वृद्धि होगा जहॉं तापमान 1000 से 1200°C रहेगा। इस प्रकार उत्पन्न फिनॉलिक दूषित जल को प्रक्रिया में ही निपटान कर लिया जाएगा। फिनॉलिक दूषित जल को बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिनॉलिक वॉटर का पूर्ण निष्पादन बताये गये विधि से किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रक्रिया के अंत में जो फिनॉलिक वॉटर अवशेष के रूप में उत्पन्न उसे खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट

(Transboundar, Handling,Transpotation & Transboundar movement) नियम 2016 के अंतर्गत निर्धारित किये जाने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. प्रदूषण भार की गणना संबंधी विवरण –

Stack Emissions details of all stacks				
Stack attached to	**Height**	**PM (in TPA)**	**SO_2 (in TPA)**	**NO_2 (in TPA)**
Induction Furnaces (4x15 Tonnes) 2 nos. of combined stacks each with twin flue	30	36.48 (9.12 per flue)	-	273.68 (68.42 per flue)
Induction Furnaces (4x15 Tonnes) 2 nos. of combined stacks each with twin flue	30	36.48 (9.12 per flue)	-	273.68 (68.42 per flue)
Rolling Mill (2x600 TPD) combined stack with twin flue	53	36.38 (18.19 per flue)	1320 (660 per flue)	353.6 (176.8 per flue)
Total		**109.74**	**1320**	**900.96**

11. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No.	Waste / by product	Existing (TPA)	After Expansion (TPA)	Method of Disposal
For Induction Furnace				
1.	Slag	-	39,600	Slag from SMS will crushed and iron ore will be recoverd & remaining non – magnetic material being insert by nature will be used as sub base material in road construction/will be given to brick manufactures.
For Rolling Mill				
2.	Mill Scales	360	4,320	Mill scales will be given to nearby Ferro alloys manufacturing units or casting units.
3.	End Cutting	1,140	13,680	Recycled back as raw material in own induction Furnaces.
For gasifier				
4.	Cinder	-	29,700	Will be given to brick manufacturing units.

5.	Tar	-	1,385	Will be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units.

12. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत कुल 435 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, इन्क्लान कर्नेस हेतु 160 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 260 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 29/08/2024 तक वैध है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 12 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 12 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 42,500.38 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 07 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

13. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 44 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति राज्य ग्रिड द्वारा किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 8.13 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
उद्योग परिसर में वृक्षारोपण हेतु	पौधों की संख्या	1,050	1,250	2,500	1,500	1,500
	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,94,250	2,13,750	4,72,500	3,13,500	3,46,500
	खाद हेतु राशि	52,500	42,500	95,000	63,000	70,500
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,20,000	1,32,000	1,44,000	1,80,000	1,80,000
कुल राशि = 26,20,000		3,66,750	3,88,250	7,11,500	5,56,500	5,97,000

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	27.3	51.2	60
PM_{10}	48.4	88.2	100
SO_2	9.2	22.8	80
NO_x	12.8	41.5	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लाइड्स, सल्फार, आर्सेनिक, साइनाइड्स, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day L_{eq}	45.3	63.5	75
Night L_{eq}	37.4	51.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 15,270 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 707 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 15,977 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

16. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व. प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। योजना के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 43,70,000 लाख (5 वर्ष में) वन विभाग के माध्यम से व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 43.7 लाख (5 वर्ष में) एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आदेशित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

18. लोक सुनवाई दिनांक 25/10/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4000	1%	40	Following activities at, 11 Government Schools, Village-Taraimal	
			Pavitra Van Nirman at Gothan in Village-Taraimal	13.05

			Rain Water Harvesting	6.80
			Environmental Awareness Program	11.00
			Potable Drinking Water Facility	8.10
			Running Water Facility for Toilets	3.30
			Plantation with fencing	2.40
			Total	**44.65**

(अ) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तराईमाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 39 (पी), क्षेत्रफल 2 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार:—

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
ग्राम—तराईमाल के गौठान में वृक्षारोपण हेतु	पौधों की संख्या	**1,200**	**240**	**240**	**240**	**240**
	वृक्षारोपण हेतु राशि	2,46,000	43,680	48,240	48,240	48,240
	खाद हेतु राशि	60,000	4,800	5,280	5,808	6,388.8
	सिंचाई एवं रख—रखाव हेतु राशि	1,46,000	1,60,600	1,60,600	1,60,600	1,60,600
कुल राशि = 13,05,000		**4,52,000**	**2,09,080**	**2,14,120**	**2,14,648**	**2,15,228.8**

(ब) पवित्र वन निर्माण के अतिरिक्त सी.ई.आर. के सभी कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—बरगुड़ा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—कोहाकुन्डा, (3) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम—कलमी, (4) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—भेलवाटिकरा, (5) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—जुरदा, (6) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम—जोरापाली, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—कोटरापाली, (8) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम—पण्डरीपाली, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—लाखा, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—कैनापाली एवं (11) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—गेरवानी में किया जाना प्रस्तावित है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्यों (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

3. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेंगे।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –
   i. वन भूमि परिदृश्य (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
   ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
   iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

6. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिनौलिक वॉटर का पूर्ण निष्पादन बताये गये विधि से किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रक्रिया के अंत में जो फिनौलिक वॉटर अवशेष के रूप में उत्पन्न होगा उसे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निष्पादित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में प्रस्तुतीकरण उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 703)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 06/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, कुल एरिया 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु **श्री** दीपक कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. ब्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है:–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3 / hr (Five into Eight Thousand Nm^3 / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–मांढर 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटम रेलवे स्टेशन मांढर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 0.88 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.89 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 29/08/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.029 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.362 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वाशड कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. / ओपन मार्केट के खदानों से आपूर्ति किया जाना है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ढके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाशड कोल का उपयोग स्वयं के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ड्रेकर एवं स्क्रीन हाउस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढका जाकर बेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** – रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जायेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

   - **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – कोल वॉशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं इण्डस्ट्रीयल उपयोग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति खारून नदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वॉशरी भी अपनाई जायेगी। वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित (क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जायेगा। कोल स्लज के डिवॉटरिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

   - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

     (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

     (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय

भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 86 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के केप्टीव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। कोल वॉशरी के चारों तरफ 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 39.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8 से 23.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{(x)}$ 10 से 28.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.5 डीबीए से 73.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 25/11/2020 प्रातः 03:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 05/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

    ii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    iii. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

ii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.116 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायलय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17 / 12 / 2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 367वीं बैठक दिनांक 04 / 05 / 2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 29 / 05 / 2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10-15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सालटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार बंद्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,19,568 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वायर (पौण्ड) क्षमता 4,94,500 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोशियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 24,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

   II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 27,45,000/–) को आस–पास के क्षेत्रों में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने

योग्य पानी की व्यवस्था, हैण्ड पम्प के निर्माण, पहुंच मार्गों में वृक्षारोपण, टॉयलेट्स के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित रेन–गन का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बैलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 254 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से मेकअप वॉटर हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन (प्रोसेस हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिसाईकल वॉटर 158 घनमीटर होगी।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घरीदा, ग्राम–कपसदा, ग्राम–धरसिंवा, ग्राम–टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला घरीदा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–घरीदा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, दाउ पोषणलाल उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–घरीदा, ग्राम–तिवरइया में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/– का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

3. सी.ई.आर. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 29,00,000/– का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/08/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मेसर्स Challa Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharastra एवं मेसर्स Sree Kartikeya Kameshwari Industries द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रूपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ उपरांत कितनी अवधि के लिए कब–कब संचालित किया गया, (3) कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.03

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घरौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घरौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–घरौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–घरौदा, (5) डॉ. पोषणलाल उत्तार उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसींवा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टांडा में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–घरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–परसरी एवं ग्राम–धरसींवा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित खर्च अत्याधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए:–
   i. क्या कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया है?
   ii. कोल वॉशरी को कब–कब कितनी अवधि के लिए संचालित किया गया?
   iii. कोल वॉशरी का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये है? साथ ही क्या कोल

वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?

iv. कोल वॉशरी वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।

2. उपरोक्त निर्णय अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त गणना कर विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरांत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है:-

   i. उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में कोल वॉशरी-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06/10/2009 को किया गया था, तत्समय उद्योग द्वारा कोल वॉशरी 200 टी.पी.एच का निर्माण कर उत्पादन कार्य आरंभ किया गया था।

   ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2578 दिनांक 26/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा 200 टी.पी.एच. क्षमता की कोल वॉशरी स्थापित की गई है। इस कोल वॉशरी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना कोल वॉशरी संचालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वॉशरी इकाई में विद्युत समायोजन पाया गया है। अतः कोल वॉशरी के चलाये जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिये कोल वॉशरी इकाई को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सूचित करें।

   iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2578 दिनांक 26/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी.

ब्रेकर को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा तत्समय विद्युत विभाग द्वारा स्थल पर बनाये गये पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल वॉशरी बंद पाई गई तथा कोल वॉशरी के इलेक्ट्रिकल पैनल्स सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल वॉशरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल वॉशरी हेतु स्थापना सम्मति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय से पत्र क्रमांक 3236, दिनांक 02/06/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2578, दिनांक 26/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विच्छेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2579 दिनांक 26/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल वॉशरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद स्थिति में पाया व संयुक्त रूप से हस्तांतरित सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विच्छेदन के बाद से अब तक कोल वॉशरी पूर्णतः बंद है व अब जर्जर अवस्था में है, पर्यावरणीय स्वीकृति व संचालन सम्मति मिलने तक कोल वॉशरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04 villeage's Pond.	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	**29.31**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला केन्द्र ग्राम–धरौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–धरौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–धरौदा, (5) दाऊ पोषनलाल उत्तर माध्यमिक शाला ग्राम–परसतराई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमीक शाला ग्राम–तिवरइया (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसींवा, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टांडा (11) शासकीय प्राथमिक शाला बरतनारा (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुर्रा (13) शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला ग्राम–मुरेठी (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसींवा भाठा (15) शासकीय स्वास्थ केन्द्र ग्राम–धरसींवा में किया जाएगा। (16) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–धरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–परसतराई एवं ग्राम–धरसींवा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा **Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan** की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि **(Damage Cost)** रूपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 27,90,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 6,60,000 (कुल–रूपये 62,75,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत् परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, आंगन बाड़ी में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, पहुंच मार्गों में वृक्षारोपण, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक **B-12016/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019** के "Record notes of discussion in the 6[3rd] conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" के अनुसार **Environmental Compensation** हेतु निर्धारित फार्मुला **EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of voilation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor)** अथवा न्यूनतम 5,000 रूपये प्रति दिन का अवलोकन किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रूपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 एवं एल.टी. ब्रेकर सील दिनांक 08/12/2010 के मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुये कुल उल्लंघन दिवस 1,254 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 62,70,000/– रूपये (5000 X 1254) होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan** हेतु राशि 62,75,000/– रूपये की गणना कर प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति सर्वमत रही कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का व्यय किया जाए। इस आशय हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाऊटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त बैंक गारंटी की क्लेम वैधता कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2021 एवं 16/11/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1 में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव आज दिनांक तक अप्राप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाना बताया गया है। उक्त बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन

दिनांक 16/11/2021 द्वारा किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2023 तक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्थान पर "**कुल एरिया 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर**" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारियां एवं समिति द्वारा किये गये पत्राचारी एवं जारी टी.ओ.आर. में कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर का उल्लेख किया जाना पाया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक से सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाऊंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत सम्बद्ध प्रस्ताव मंगाया जाए।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाऊंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत सम्बद्ध प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(ब) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जो तथ्यों को संज्ञान में लिया जाकर परियोजना प्रस्तावक से जानकारियां वांछनीय थी, उसके संदर्भ में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। भूमि संबंधी अभिलेख पूर्ण नहीं है एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का पुनः परीक्षण आवश्यक है। कोल वॉशरी को संचालन सम्मति कब स्वीकृत हुई, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संचालन सम्मति के पश्चात् कितना मीट्रिक टन कोयले कब से कब तक वॉश किया गया एवं उससे कितना उत्पादन हुआ? इस दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई विवेचना किया जाना आवश्यक है। विद्युत विच्छेदन कब किया गया? वर्तमान में कोल वॉशरी संचालित है अथवा नहीं? कोल वॉशरी को बंद करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब कार्यवाही की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय क्षति का नये सिरे से मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया जाए।

3. प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनियोग का घटकवार ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ऊ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. सुरेश, जनरल मैनेजर एवं श्री कृष्णा कांत, इन्वायरमेंट मैनेजर तथा मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ईको पार्क निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 517/1, 518/1, 518/2, 519, 520/1, 520/2, 524/1, 531/1, 532/1, 532/2 एवं 532/3 में मण्डल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.वि.नि./व्यय/2022/5986 रायपुर, दिनांक 25/01/2022 के अनुसार ईको पार्क निर्माण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

वर्ष एवं कार्य	राशि
फेंसिंग व्यय	5,36,599
प्रथम वर्ष (क्षेत्र सफाई, स्कोटिंग कार्य, गड्ढा खुदाई, मिट्टी क्रय, रोपणी व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	29,72,630
द्वितीय वर्ष (मृत पौधा परिवर्तन कार्य, रोपणी व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, निंदाई कार्य, सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	10,48,573
तृतीय वर्ष (निंदाई कार्य, सिंचाई, सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	9,27,129
चतुर्थ वर्ष (सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	4,55,405
चौकीदार हट का निर्माण	25,289
पाथवे निर्माण कार्य, पेवर लगाना	3,09,375
कुल	**62,75,000**

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण लगाया जाना बताया गया है। समिति का मत कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर है। समिति द्वारा उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज में ग्राम–सिलतरा एवं ग्राम–मुरेठी का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत कि ग्राम पंचायत मुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. समिति द्वारा पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूल में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में किये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. ग्राम पंचायत मुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि कंपनी का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1563)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61066/2021, दिनांक 22/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एम्आईएन/61066/2021, दिनांक 30/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,38,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) लीज कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एसीरिस इन्वायरोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अमित शाह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 05/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी अलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. क्रमांक क./खनि. /तीन–6/ई–निविदा/2018/1081(2) रायपुर, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 07 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज

शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1281/ख.लि./तीन–6/उ.प./2020 रायपुर, दिनांक 19/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भुहि के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 752, 748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री हरनेक सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./वा/2700 रायपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 250 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 250 मीटर एवं अस्पताल मंदिर हसौद 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.1 कि.मी. दूर है। नाला 60 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,27,500 टन, माईनेबल रिजर्व 24,11,325 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,87,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 12,698 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	–
द्वितीय	2,38,012
तृतीय	2,38,012
चतुर्थ	2,38,012
पंचम	2,38,012
षष्ठम	2,38,012
सप्तम	2,38,012

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 1 प्रतिशत माईनिंग लौस दर्शाते हुये रिकव्हरेबल रिजर्व (23,87,211 टन) की गणना की गई है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से 1 प्रतिशत माईनिंग लौस होना उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लौस माने जाने पर रिकव्हरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षों हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही विचार किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम$_{2.5}$ 18.21 से 33.56 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम$_{10}$ 50.88 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.12 से 14.79 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 8.43 से 17.67 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.7 डीबीए से 48.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 37.23 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 309 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

18. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान–पंचायत भवन, ग्राम पंचायत धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या वृक्षारोपण किये जायेंगें।

ii. हैवी ब्लास्टिंग होने से गांव के मकानों एवं समीप में स्थित तालाब को क्षति होगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षों का रोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

ii. हैवी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर 30 से 40 स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 87 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 1.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु अनुमानित राशि 50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VI. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 34,05,250/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 5,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 5,08,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 3,81,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 90,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 10,99,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 87 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष दिनांक से वर्षो उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
210.84	2%	4.21	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.37
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	1.35
			Total	**4.22**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–धनसुली एवं (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बाराडेरा में किया जाएगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग रुपये 210.8 लाख है। विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. एल.ओ.आई. पैथता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (खसरावार सहित) एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(vi) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/खनि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/खनि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

3. एस.ओ.आई. की क्षेत्रता वृद्धि बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 35/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये जिला कार्यालय (खनिज शाखा) रायपुर के पत्र दिनांक 03/08/2018 जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) पुनरीक्षणकर्ता श्री त्रिपतपाल सिंह गुई पो. छत्तीसगढ़ मिनरल शंकर नगर रायपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–6–42/2012, दिनांक 26.06.2020 के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

4. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर होगा, जिसमें से 12,697.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 3,170 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि (खसरा क्रमांक 883, क्षेत्रफल 2.06 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।

5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में चाही गई वांछनीय बिन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई वांछनीय बिन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भूमि के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 752,

748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री हरनेक सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 79,375 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,23,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 4,76,250 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,78,625 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के तहत् 500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 42,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,35,000 रूपये 3 वर्ष में घटकवार व्यय किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 171.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लॉस माने जाने पर रिकव्हरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षों हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 756, 759, 760, 761 एवं 773 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर,

समता – 2,29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के ई–मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिपलपाल सिंह भुई, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान के पृष्ठ क्रमांक 19 के पैरा 3 अनुसार बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर रखा जाकर उत्खनन किया जाएगा। अतिरिक्त सुरक्षा हेतु 5 मीटर ऊंचाई को 2 स्पेन में 2.5 मीटर – 2.5 मीटर करते हुये उत्खनन किया जाएगा।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग समाप्ति करने के समय कम से कम 1 मीटर रिजर्व को रखने उपरांत उत्खनन किया जाएगा तथा माईन पिट का उपयोग वॉटर टैंक रिचार्ज के रूप में किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई न्यूनतम 2.5 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर रखा जाकर उत्खनन कार्य करने" की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिपलपाल सिंह भुई, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर, क्षमता – 2,29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व बैठक में दिये गये निहित शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, धरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/

221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600	–	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स/इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से वी–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनःपरीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री निखिल आहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabriction unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51
5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
Total		**26,670**	**100**

2. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गेल्वेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईकलर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु

उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.व्ही.ए. (02 नग x 75 के.व्ही.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/– जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	

			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खुड़मुड़ी, (2) शासकीय शाला ग्राम–खागेरपेट (3) शासकीय शाला ग्राम–गोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम–बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम–भूरकोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–माधी, (7) शासकीय शाला ग्राम–भिलया, (8) शासकीय शाला ग्राम–सगनुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम–भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम–भेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मैटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।

3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 4,104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 3,402 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्केल – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0. 21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (18,313 घनमीटर) का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

4. उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् उद्योग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रैन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6. 59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
सी.सी.एम. एवं हीट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	–	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 16/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिलतरा एवं बोरझरा क्षेत्रों में नये स्पंज आयरन प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत सापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाबत् पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 07/07/2012 द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यवाही विवरण से अवगत कराते हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस में वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट (7.06 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड) का डाटा समान लिया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी हेतु विद्युत खपत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के ई–मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (Technical Consultant is Busy in NABET Meeting) से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1560)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60949/ 2021, दिनांक 18/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60946/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इन्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/ इंगाट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईडिंग वायर, वेल्ड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड क्लिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी–1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सौरभ केडिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से री-रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर बाईडिंग वायर, वेल्ड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्डमेश, स्टे वायर, कोल्ड ड्रिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/09/2020 को जारी की गई है, जो उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–मेहर सखा 0.9 कि.मी., रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। कुल्हन नाला 5.1 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर के प्रकरण क्रमांक 202102111000103/अ–2 वर्ष 2020–21, आदेश दिनांक 08/03/2021 द्वारा "भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये गये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है, जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है।" हेतु सूचना पत्र प्रारूप "अ" जारी किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से कवर्ड का क्षेत्रफल 2.86 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) है।

5. **रॉ–मटेरियल –**

Quantity of Raw Material, Sources and Mode of Transport				
	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode of Transport
1	For Induction Furnace (MS Billets / Ingots / Hot Billets) - 2,97,000 TPA			

A)	Sponge Iron		2,47,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
B)	Scrap		1,05,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
C)	Ferro Alloys		4,500	Raipur	By Road (through covered trucks)
2	For Rolling Mill (TMT / Wire Rod / patra / and other Rerolled Products) – 2,91,750 TPA				
A)	MS Billets/ steel ingots		3,12,100	Own generation	-
3	Coal Gasifire (Producer gas - 6,500 Nm^3/ hour)				
A)	Coal	Indian Coal	21,500	SECL	By Rail & Road (through covered trucks)
		or			
		Imported Coal	13,700	Indonasia / Australia	By sea route, By Rail & Road (through covered trucks)

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit	Existing Capacity (TPA)	Proposed Additional Facilities	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace (MS Billets / Ingots Hot Billets)	30,000 (By 2x6 T Induction Furnace & 1x90 TPD Rolling Mill)	2,97,000 (6x15 T)	3,27,000 (2x6 T & 6x15 T)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire Rod / Patra / and other rerolled products)		2,91,750 (Upgradation of 90 TPD to 325 TPD & New 2 x 325 TPD)	3,21,750 (3 x 325 TPD)
3.	Coal Gasifier	-	1 x 6,500 NM^3/Hr	1 x 6,500 NM^3/Hr
4.	Galvanising unit (HB wire, GI wire, Binding wire, Wed mesh, Chain Link, Barbed Wire, Weld Mesh, Stay Wire, Cold Dip, Rectifier, Wire Cloth)	1,00,000 TPA	-	1,00,000 TPA

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ 3 नग बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 47 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। हॉट गैस फायरिंग के द्वारा प्रस्तावित गैसीफायर का संचालन किया जाएगा। फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Waste	Quantity (in TPA)	Method of Disposal
From Induction Furnace			
1.	Slag	29,700	Slag from SMS will be Crushed and Iron will be recovered and remaining non magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer.
From Rolling Mill			
1.	Mill Scales	3,501	Mill Scales will be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit.
2.	End Cuting	11,085	Recycled back as raw material in own induction furnace.
From Gasifier			
1.	Tar	461	Will be given to Tar recyclers/ Agencies Engaged in construction Activities/ given to nearby Pellet plant units.
2.	Cinder	9,680	Will be given to cement plant.

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 52 घनमीटर प्रतिदिन (गेल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 412 घनमीटर जल प्रतिदिन (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 130 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 190 घनमीटर प्रतिदिन, कोल गैसीफायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, गेल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 15,130 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03/12/2023 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 36,429 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) क्षेत्र में 20 मीटर से 40 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 2,500 नग प्रति हेक्टेयर पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

  i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

  ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 12.6 से 39.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.7 से 65.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$

6.2 से 10.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 7.3 से 19.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 66.65 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 14.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एनओ$_{2}$ की मात्रा 28.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41 डीबीए से 54 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32 डीबीए से 41 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,590 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3,232 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

14. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 23/09/2021 प्रातः 11:00 बजे, स्थान – ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना के विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रोलिंग मिल में स्थापित इकाईयों एवं चिमनी की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, शभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियत्रंण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।

10. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए।

11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40 प्रतिशत वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

12. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

16. गैसीफायर की तकनीकी (कितने कोयले से कितना गैस उत्पन्न होगा) जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोल स्पेसिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

17. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की जाए।

18. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

19. वर्तमान प्रस्तुत प्लांट ले–आउट में लेडल फर्नेस दर्शाया गया है, जबकि ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव में लेडल फर्नेस का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

20. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत 4688.47 लाख रूपये का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2331/मु./तक./छ.ग.प.सं.म./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/07/2021 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु को जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत किरना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, रोलिंग मिल के साथ कोल गैसीफायर का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, गेल्वेनाइजिंग इकाई का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, स्टोरेज एवं आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर, वॉटर रिजर्वायर एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 4.426 हेक्टेयर तथा अन्य क्षेत्रफल 1.364 हेक्टेयर है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 325 टन प्रतिदिन का 3 नग रोलिंग मिल स्थापित किया गया है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई 47 मीटर (इण्डियन कोल के लिए) एवं

41 मीटर (इम्पोर्टेड कोल के लिए) की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

7. वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 100 है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कार्यरत श्रमिकों की संख्या 150 होगी।

8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, रॉ मटेरियल ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है–

Identified Impacts	Mitigation Measures
Raw Material Transpotation	Covered Trucks
Unloading of Raw Material	Dust Suppression System (Fog type and Water Spray System)
Raw Material Conveying	Covered Conveyers to Prevent Flying of Dust During conveying
Coal handling Plant	Dust extraction System with Bag filters
Coal Transfer Points	Dust Extraction System with Bag filters
Stacks Emissions	Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) will be provided to Induction Furnace to bring down the PM to 30mg/ Nm^3
Vehicular Movement	All Internal Roads will be made pucca Avenue Plantation will be Developed on both sides of Villages Roads and Internal Roads

9. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना एवं प्रदूषण भार में वृद्धि संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

Incremental Ground Level Concentration due to proposed expansion proposal				
Particular	**PM_{10} (µg/m³)**	**SO_2 (µg/m³)**	**NO_2 (µg/m³)**	**CO (µg/m³)**
Maximum baseline conc. in study area	65.3	10.2	19.5	1.253
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **the proposed expansion**	0.86	4.4	5.3	-
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **Vehicular emissions from the proposed expansion**	0.49	–	3.8	2.1
Net resultant concentration during operation of **the proposed expansion**	66.65	14.6	28.6	1.255.1

10. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ई.टी.पी. से प्राप्त स्लज के ड्राई डिस्पोजल (Dry Disposal) के लिए फिल्टर प्रेस लगाया जाएगा तथा प्राप्त अवशेष को वृक्षारोपण हेतु खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा।

11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आगामी मानसून में निर्धारित संख्या में पौधों का रोपण किया जाए।

12. कुल क्षेत्रफल के 4.426 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 10,22,490 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,86,900 रुपये, खाद के लिए राशि 48,690 रुपये, रख–रखाव के लिए राशि 9,73,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 25,31,880 रुपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 17,16,188 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा कुल 33.2 मेगावॉट विद्युत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का 1 नग का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है। अतः **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. उद्योग से निकले वाली काले धूऐं के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

    ii. दूषित जल की निकासी उद्योग के बाहर करने से आस–पास के क्षेत्र की फसलें प्रभावित हो रही है। इस बाबत् मुआवजा दिया जाना चाहिए।

    iii. उद्योग द्वारा सामाजिक विकास का कार्य किया जाना चाहिए।

    iv. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

    लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

    i. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इण्डक्शन फर्नेस में बेग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल को कोल गैसीफायर से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम होगी।

    ii. प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा, जहां से उसे क्लोज्ड सर्कुलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इकाईयों एजेंसियों द्वारा सूचित करने पर हमारे द्वारा समुचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

    iii. सामाजिक उत्थान हेतु आस–पास के निवासियों की सहायता की जा रही है तथा भविष्य में भी की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना के स्थापना कार्य के दौरान लगभग राशि रुपये 37 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे शाला भवन जीर्णोद्धार, निस्तारी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, कौशल विकास,

छात्रवृत्ति, मेडिकल कैम्प तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों में से बिन्दु क्रमांक तीन के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित कार्य हेतु त्रिपक्षीय समिति (उद्योग प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीण एवं जिला प्रशासन) गठित कर समिति की निगरानी में प्रस्तावित कार्य कराया जाए।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4688.47	1%	46.88	Following activities at nearby proposed site	
			Pavitra Van Nirman	22.07
			Environmental library with almirah in schools	6.00
			Drinking Water facility	5.60
			Running water facilities in schools	1.80
			Plantation in schools	2.48
			Total	37.95

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,06,180 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,45,800 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 3,53,280 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 10,90,260 रूपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 11,16,875 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मनोहरा के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 393/1, क्षेत्रफल 2.43 हेक्टेयर) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत मनोहरा द्वारा दिनांक 30/03/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा के लिए राशि रूपये 6 लाख, बाउंड्री के चारों तरफ वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 2.48 लाख, रनिंग वॉटर के लिए राशि रूपये 1.80 लाख एवं पीने योग्य पानी के लिए राशि रूपये 5.60 लाख का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

जिस हेतु प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला किरना, प्रधान पाठक, नवीन प्राथमिक शाला किरना, संकुल समन्वय, संकुल स्त्रोत केंद्र निनवा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मेहरसखा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कुथरेल एवं प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रैता से सहमति प्राप्त कर, प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सी.ई.आर. की शेष राशि रुपये 8.94 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा की जाए।

17. प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशेसन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनोलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। प्रस्तावित गैसीफायर की क्षमता 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर होगी, जिसमें रॉ–मटेरियल के रूप में इण्डियन कोल 21,500 टन प्रतिवर्ष अथवा इम्पोटेड कोल 13,700 टन प्रतिवर्ष कोयला खपत होगी। इससे उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा सिण्डर 9,680 टन प्रतिवर्ष एवं टार 461 टन प्रतिवर्ष होगी। कोल स्पेशिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की गई है तथा स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 27 मेगावॉट, रोलिंग मिल हेतु 6 मेगावॉट एवं कोल गैसीफायर हेतु 0.2 मेगावॉट) विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है।

19. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. प्लांट में लेडल रिफाईनिंग फर्नेस का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेडल का उपयोग केवल हॉट मेटल को लिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

21. समिति का मत है कि अधिक से अधिक सतही जल (Surface water) का उपयोग किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/इंगाट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईंडिंग वायर, वेल्ड मेश, चैन

लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड डिप, रेक्टीफायर, वायर क्लीप) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/06/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना में कोल गैसीफायर का उपयोग किये जाने के कारण संभवतः फिनॉलिक वॉटर उत्पनन होगा। उद्योग के प्रस्तावित प्रस्ताव में किस पद्धति से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा के संबंध में स्पष्टीकरण (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के ई–मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री आशीष सौरभ केडिया, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि हॉट चार्ज मोड में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जायेगा। जनित हॉट गैस (प्रोड्यूसर गैस) को इन्सुलेटेड पाईपलाईन के माध्यम से फर्नेस तक ले जाया जाएगा, जिससे कि कन्डेंसेशन (Condensation) नगण्य होगी।
2. सील वॉटर को क्लोज लूप सिस्टम में उपयोग किया जाएगा। जब सील टैंक खाली होगा, तब वेस्ट वॉटर को ग्राउण्ड टैंक्स में रखा जाएगा। तत्पश्चात् वेस्ट वॉटर को ग्राउण्ड टैंक से ओवर हेड टैंक में रखा जाकर वेस्ट वॉटर को 600°C से 800°C के तापमान में पुनः गैसीफायर में प्रवाहित कर बर्न (Burn) किया जाना प्रस्तावित है।
3. तदोपरांत शीघ्रता से वाष्पीकृत होगा एवं ऑक्सीकरण में वृद्धि होगा जहाँ तापमान 1000 से 1200°C रहेगा। इस प्रकार उत्पन्न फिनॉलिक दूषित जल को प्रक्रिया में ही निपटान कर लिया जाएगा। फिनॉलिक दूषित जल को बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/ इंगट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से

3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री-रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईडिंग वायर, चैड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड ड्रिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व बैठक में दिये गये निहित शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कब्रदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स जे.के. स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज (पार्टनर– श्री संतोष कुमार यादव, फ्लेग स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1855 एवं 1860, कुल लीज क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर, ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 3,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.92 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 3,600 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों से विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, सराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 38,820 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव, सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर दक्षिण दिशा में अस्थायी भंडारित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

13. मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु साईम पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. खनिज का परिवहन कच्ची वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	2%	2.00	Following activities at, Village-Paragaon	
			Pavitra Van Nirman	10.63
			Total	**10.63**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बढ़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,52,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,66,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1683, क्षेत्रफल 0.19 एकड़) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

21. सी.ई.आर., सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारो तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,060 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बढ़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण (कुल 1,460 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की**

दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पौधो में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
26. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य करना नही पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
30. वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
31. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्सरण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.